भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4762**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की आपूर्ति में कमी

4762. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन हालिया रिपोर्टों की ओर ध्यान दिया है, जिनमें संकेत दिया गया है कि कई राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति में भारी कमी आई है; और
(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है कि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हों और उन्हें काले बाजार में अत्यधिक कीमत न चुकानी पड़े?

<u>**उत्तर**</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): चल रहे रबी मौसम 2024-25 के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। चल रहे रबी मौसम 2024-25 (दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 23.03.2025 तक) के दौरान राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक संबंधी जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

तथापि, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. आवश्यकता का आकलन अनुमानित सकल फसल क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, पिछले तीन मौसमों के खपत पैटर्न और मृदा स्वास्थ्य उर्वरता स्थिति के अनुसार फसलवार उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

iii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iv. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

v. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उर्वरक विभाग में उर्वरकों की कालाबाजारी के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 28.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.4762 के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संबंधित है।

चल रहे रबी 2024-25 (दिनांक 23/03/25 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया					डीएपी					एमओपी					एनपीकेएस				
		रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	23/03/2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	23/03/2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	23/03/2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 23/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	23/03/2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.40	9.05	11.81	9.16	2.64	2.00	1.98	2.75	2.31	0.46	0.80	0.77	1.68	0.99	0.70	9.00	8.78	12.15	9.76	2.55
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	1.59	2.42	2.08	0.36	0.25	0.24	0.44	0.36	0.09	0.28	0.27	0.49	0.27	0.23	0.35	0.34	0.42	0.28	0.14
5	बिहार	13.00	12.77	16.65	14.86	1.82	3.00	2.97	4.57	4.02	0.58	1.15	1.14	2.21	1.49	0.72	4.00	3.97	5.23	3.88	1.39
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	2.40	2.34	4.42	2.73	1.68	0.70	0.69	1.33	0.92	0.41	0.15	0.15	0.55	0.17	0.38	0.60	0.58	0.95	0.53	0.42
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.14	0.24	0.20	0.04	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
12	गुजरात	13.75	13.49	14.68	13.08	1.60	2.75	2.71	3.14	2.77	0.38	0.64	0.63	0.90	0.65	0.26	4.00	3.90	5.94	4.39	1.57
13	हरियाणा	11.20	10.94	15.00	12.47	2.53	2.60	2.59	2.89	2.72	0.16	0.30	0.29	0.47	0.21	0.25	1.20	1.17	0.93	0.68	0.25
14	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.36	0.46	0.30	0.17	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.21	0.21	0.27	0.18	0.08
15	जम्मू और कश्मीर	0.70	0.65	1.19	0.58	0.61	0.25	0.24	0.39	0.24	0.14	0.13	0.12	0.19	0.06	0.13	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
16	झारखंड	1.00	0.97	2.06	1.66	0.40	0.25	0.25	0.45	0.41	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.30	0.30	0.58	0.34	0.24
17	कर्नाटक	6.50	6.23	10.64	7.31	3.38	1.74	1.68	2.70	1.92	0.79	0.65	0.63	1.74	0.93	0.83	6.30	6.08	12.63	8.43	4.24
18	केरल	0.57	0.56	0.82	0.60	0.22	0.07	0.07	0.11	0.10	0.01	0.40	0.39	0.68	0.42	0.26	0.60	0.58	0.84	0.63	0.21
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.00	19.94	24.26	20.39	3.84	8.00	7.94	6.91	5.85	1.05	0.60	0.59	1.14	0.64	0.51	6.00	5.90	6.83	5.01	1.82
21	महाराष्ट्र	10.00	9.51	16.42	10.46	5.94	2.50	2.39	3.27	2.45	0.82	1.00	0.94	2.25	1.04	1.22	12.00	11.60	18.04	10.13	7.94
22	मणिपुर	0.10	0.09	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.01	0.13	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.85	1.72	3.26	1.75	1.49	0.70	0.67	1.03	0.74	0.29	0.25	0.24	0.55	0.20	0.35	0.75	0.72	1.58	0.80	0.79
27	पुदुचेरी	0.09	0.08	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04	0.07	0.05	0.03
28	पंजाब	15.00	14.74	18.68	15.07	3.57	4.50	4.49	4.22	3.83	0.37	0.50	0.49	0.73	0.36	0.36	1.50	1.49	1.26	0.96	0.30
29	राजस्थान	15.00	14.90	18.45	15.74	2.71	3.00	2.99	3.50	3.32	0.19	0.10	0.10	0.20	0.12	0.08	1.50	1.49	1.98	1.56	0.43
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.00	5.85	7.95	6.25	1.73	1.30	1.26	1.92	1.50	0.44	1.20	1.17	1.79	1.16	0.63	6.00	5.84	6.37	4.79	1.62
32	तेलंगाना	9.80	9.46	11.94	10.32	1.65	1.50	1.46	1.72	1.46	0.27	0.70	0.67	0.95	0.64	0.32	7.00	6.69	8.52	6.37	2.31
33	त्रिपुरा	0.10	0.09	0.15	0.09	0.06	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	1.03	0.99	1.27	0.99	0.28	0.15	0.15	0.36	0.23	0.13	0.05	0.05	0.07	0.02	0.05	0.20	0.20	0.17	0.11	0.05
35	उत्तर प्रदेश	39.00	38.48	50.95	39.63	11.32	15.00	14.87	14.31	12.29	2.05	1.25	1.22	2.01	1.25	0.77	8.50	8.44	9.20	6.98	2.26
36	पश्चिम बंगाल	8.20	7.98	12.05	8.79	3.19	1.75	1.71	2.42	1.95	0.50	1.70	1.66	2.51	1.63	0.88	7.00	6.82	9.74	6.73	3.04
	संपूर्ण भारत	**186.89**	**182.98**	**246.12**	**194.72**	**51.33**	**52.05**	**51.37**	**58.50**	**49.47**	**9.17**	**11.95**	**11.60**	**21.27**	**12.32**	**8.99**	**77.10**	**75.19**	**103.75**	**72.62**	**31.70**

1 सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री